दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तारियां तब की गई जब शांति भंग होने की आशंका थी जिसे अन्यथा नहीं रोका जा सकता था।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तारियों के आधारों का सत्यापन, सब डिविजनों के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्ष (1991, 1992 और 1993) के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के दुरूपयोग के लिए 13 पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए हैं।

कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जाना

2320. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार कारागार प्रशासन का, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, आधुनिकीकरण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है तथा योजना का कार्यान्वयन होने के बाद सामान्य कैदियों, राजनैतिक कैदियों और किसी अन्य श्रेणी के कैदियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा इस सम्पूर्ण योजना को लागू करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसमें कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) "जेल" राज्य का विषय है अतः सभी प्रकार के कैदियों को सुविधाएं स्वयं राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, उनकी अपनी जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है। तथापि अपने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की एक योजना चलाई हुई है जिसके अंतर्गत जेलों की स्थिति सुधारने, सुरक्षा, संचार व्यवस्था मजबूत बनाने, पुराने जेल भवनों की मरम्मत और नवीकरण करने, चिकित्सकीय देखभाल, तन्दुरुस्ती और स्वास्थ्य की देखभाल करने, निर्माण कार्यक्रमों, जेल में स्थित उद्योगों के आधुनिकीकरण, महिला अपराधियों को सुविधाएं देने आदि के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1987—92 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही प्रदान की जा चुकी 45 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता के अलावा, इस उद्देश्य के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100 करोड़ रु० तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ईसाई संगठनों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता

2321. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक ईसाई संगठन विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लागू नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने संबंधी कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से ऐसी निधियों की कितनी राशि प्राप्त की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाली संस्थाएं विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसी संस्थाएं उपरोक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत हों या उन्होंने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

(ग) संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करने पर उल्लंघनों के निम्नलिखित मामलों का पता चला है :—

1992-93	.	.	.	13
1993-94	.	.	.	13

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई विदेशी अभिदाय की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

1990-91	.	945.47 करोड़ रुपये।
1991-92	.	1412.13 करोड़ रुपये।
1992-93	.	1584.30 करोड़ रुपये।

Spread of Cholera in Jammu and Kashmir

2322. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government has drawn the attention to the news-item appeared in the Indian Express dated 25th September, 1994 captioned "Cholera gastro claim 250 lives in Jammu and Kashmir";

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and